



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त को 10 माह के कठोर कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना बिंवार में पंजीकृत मु0अ0सं0- 230/2023 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय एनडीपीएस एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त देवेन्द्र सिंह उर्फ लोधे सिंह पुत्र कल्याण सिंह निवासी ग्राम छानी बुजुर्ग जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 10 माह के कठोर कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



अभियोजक-
एडीजीसी प्रवीण सिंह
भदौरिया



विवेचक-
उ0नि0 विजय
कुमार मिश्रा



पैरोकार
थाना- बिंवार
का0 श्रीकान्त राजपूत